



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2018/फाल्गुन 7, 1939

No. 707]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2018/PHALGUNA 7, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

**का.आ. 802(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 05 जून, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) तारीख 05 जून, 2015 का संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना की तालिका में, क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“8.	अध्याय-IX, धारा 129	खंड रिपोर्टिंग संबंधी सुसंगत लेखांकन मानक के लागू होने की सीमा तक रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को लागू नहीं होगा”।

[फा.सं. 1/2/2014-सीएल.V]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 463 (अ) तारीख 05 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. सं. 582(अ) तारीख 13 जून, 2017 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**New Delhi, the 23<sup>rd</sup> February, 2018

**S.O. 802(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 462 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in the interest of public, hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs number G.S.R. 463(E) dated the 5<sup>th</sup> June, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5<sup>th</sup> June 2015 , namely:—

2. In the said notification, in the Table, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be respectively substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“8.	Chapter IX, section 129.	Shall not apply to the companies engaged in defence production to the extent of application of relevant Accounting Standard on segment reporting”.

[F. No. 1/2/2014-CL-V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section- 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 463(E) dated the 5<sup>th</sup> June, 2015 and was subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 582 (E) dated 13<sup>th</sup> June, 2017.